

प्रेषक,

**श्री शंकर अग्रवाल**

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**1. आवास आयुक्त**

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास पारिषद

लखनऊ।

**2. उपाध्यक्ष**

समस्त विकास प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 10 अप्रैल, 2008

**विषय : उत्तर प्रदेश में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं हेतु भूमि अर्जन/लैण्ड असेम्बली एवं विकास की नीति के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रियाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासनादेश संख्या : 5873/आठ-105-34विविध/03टीसी-1, दिनांक 29.12.05 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें उत्तर प्रदेश में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं में विकासकर्ताओं द्वारा देय विकास शुल्क की गणना हेतु मापदण्डों का निर्धारण किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है चूंकि अभी तक उपरोक्त शासनादेशों को संशोधित/ अतिक्रमण करते हुए कोई अन्य शासनादेश जारी नहीं हुआ है। अतः कृपया शासन के अग्रिम आदेशों तक शासनादेश दिनांक 29.12.05 में निहित व्यवस्थानुसार ही वाह्य विकास शुल्क आदि के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

**शंकर अग्रवाल**

प्रमुख सचिव

**संख्या : 2330(1)/आठ-1-05 तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, प्रदेश ।
2. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग,, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, निबन्धन एवं पंजीयन, उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्ध निदेशक, सहकारी आवास संघ, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त भूमि अध्याप्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन, उत्तर प्रदेश।
13. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
14. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

**अनिल कुमार सिंह**  
विशेष सचिव